न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः— 151/08 (RCMS No.2008/00013) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. रोशन पुत्र नन्दन जाति जाट निवासी धौरमुई तहसील भरतपुर
2. वीरी पुत्र बिहारी (मृतक)

2/1. करतार सिंह
2/2. दौलत
2/3. अमर सिंह
2/4. अमर चन्द

पिसरान बीरी जाति जाट निवासी धौरमुई तहसील भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. हरचन्द पुत्र राजपाल
2. फौरन पुत्र रतन सिंह
3. कृणवीर पुत्र हरचन्द
4. हरदम पुत्र रतन सिंह (मृतक)

4/1. मिश्री लाल
4/2. महेन्द्र
4/3. नरेन्द्र
4/4. नरेश
4/5. जगनी

पिस. हरदम

4/6. सरोज पुत्र हरदम
4/7. भगवानदेई पुत्री हरदम

जाति जाट निवासी धौरमुई तहसील भरतपुर

..... रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर दिनांक 29.09.2008

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थितिः—

1. श्री अर्जुन सिंह वकील अपीलान्ट
2. श्री दिनेश शर्मा वकील रैस्पो0

नि र्ण य **दिनांकः— 29.11.2018**

यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के निर्णय दिनांक 29.09.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार

से हैं कि प्रार्थी/अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया था कि विवादित आराजी गत ख0 नं0 812 रकवा 1 बीघा 7 विस्वा वॉके ग्राम धौरमुई तहसील व जिला भरतपुर का खातेदार है जिसके हाल ख0 नं0 781 रकवा 10 एयर, 782 रकवा 10 एयर किता 2 रकवा 20 एयर बनाये है जो गत के मुकावले 2 एयर कम है। अप्रार्थीगण/ रैस्पो0 1 लगायत 4 ने ख0 नं0 1857/811 रकवा 6 विस्वा, 1858/811 रकवा 7 विस्वा, 1859/811 रकवा 2 विस्वा व 1860/811 रकवा 2 विस्वा कुल किता 4 रकवा 17 विस्वा के सैटिलमेन्ट से हाल ख0 नं0 780 रकवा 16 एयर बनवा लिया है, जो गत के मुकावले 2.04 एयर अधिक है। अतः रकवा की पूर्ती कर रैस्पो0 का गत के अनुसार रकवा दर्ज किया जावे। अप्रार्थीगण ने जबाब पेश किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण 30 वर्षों से अपनी अपनी आराजी पर काबिज काश्त हैं उनकी आराजी के मध्य पक्की दीवाल बनी हुई है। प्रार्थीगण ने इससे पूर्व एक दावा इस्तकरार हक व हुक्त इम्तनाई दवामी सहायक कलक्टर भरतपुर के न्यायालय में पेश किया था, जो दिनांक 24.06.2003 को खारिज हो गया। जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के न्यायालय में अपील पेश की थी, जो दिनांक 20.01.06 को खारिज हो गयी। इसलिये दावा खारिज होने के बाद धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र मैन्टेनेबिल नही है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना कि जब एक बार कोई विवाद किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विनिश्चित हो जाता है तो फिर उसे बारम्बार विभिन्न न्यायालयों में नही चला जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इस निर्णय के विरूद्ध यह अपील पेश की है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि अपीलान्ट का गत के मुकाबले 2 एयर रकवा कम है जो रैस्पो0 की आराजी में बढा दिया है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश नौन स्पीकिंग आदेश होने से फैसल की तारीफ में नही आता है। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार की रिपोर्ट पर कोई विचार नही किया, न ही राजस्व रिकार्ड का अवलोकन ही किया है। जबकि तहसीलदार ने अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र की पुष्टि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से निर्णय पारित किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गत के अनुसार हाल में रकवा की पूर्ती किये जाने के आदेश दिये जावे।

विद्वान वकील रैस्पो0 का तर्क है कि अपीलान्ट ने पूर्व में सहायक कलक्टर भरतपुर के न्यायालय में इसी आराजी के संबंध में दावा दायर किया था जो खारिज हो गया था। अपीलान्ट ने उक्त आदेश के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के न्यायालय में अपील पेश की थी जो दिनांक 20.01.2006 को खारिज हो गयी थी। अपीलान्ट पुनः धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र दुरूस्ती का लेकर आये है, जो चलने योग्य नही है। जब दावा ही खारिज हो गया तो प्रार्थना पत्र धारा 136 चलने योग्य ही नही रहता है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली मे उपलब्ध दावा सं0 636/02 उनवानी वीरी सिंह बनाम हरचन्द निर्णय दिनांक 24.06.2003 की फोटोप्रति से जाहिर है कि पक्षकारों के मध्य पूर्व में विवादित

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आराजी के संबंध में दावा इस्तकरार हक व इन्द्राज दुरूस्ती खारिज हो चुका है। जिसकी अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर में की गयी है। राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय दिनांक 20.01.06 से अपील भी खारिज हो चुकी है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट द्वारा उक्त आराजी के संबंध में धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत पुनः दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र पेश किया है जो चलने योग्य नही है। अपीलान्ट ने तथ्यों को छुपाकर प्रार्थना पत्र धारा 136 पेश किया है, जो उचित नही है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है, वह उचित है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.09.2008 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official